न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः–प्रकाश राजपुरोहित

प्रकरण संख्या 31/2017

भूपेन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

––प्रार्थी

बनाम

1.सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी हनुमानगढ जरिये पीठासीन अधिकारी उम्मेद सिंह रतनू।

2.देवेन्द्र कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी हनुमानगढ राजस्थान।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत स्थानान्तरण पत्रावली प्रकरण संख्या 23/2017 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–1.श्री प्रदीप मोहन भाटी वकील प्रार्थी

2.श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

3.श्री राजेश दीप राय वकील अप्रार्थी संख्या 2

आदेश दिनांकः–24.01.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है कि प्रार्थी के विरूद्ध एक प्रार्थन पत्र अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनवानी देवेन्द्र कुमार बनाम भूपेन्द्र आदि प्रकरण संख्या 23/2017 अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 24.07.2017

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

मुकर्रर है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय द्वारा प्रार्थी को बिना सुनवाई के प्रार्थना पत्र आदेश पारित किए जा रहे है व अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनू एसडीएम द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 जो कि उच्च राजनैतिक पहुंच रखता है के प्रभाव में आकर व दबाव में आकर जैरकार प्रार्थना पत्र को उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध करने का अंदेशा है व प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में न्याय की उम्मीद नही है इसलिए प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में निर्णय किसी अन्य निडर व ईमानदार अधिकारी से करवाना चाहता है। प्रार्थी ने एक वाद अनवानी भूपेन्द्र कुमार बनाम देवेन्द्र कुमार आदि अन्तर्गत धारा 53 आरटीए न्यायालय टिब्बी में प्रस्तुत कर रखा है जो कि जैरकार है जिसमें आगामी पेशी 27.7.2017 मुकर्रर है की सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र 212 आरटीए से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाना था किन्तु उक्त पूर्व में प्रस्तुत वाद धारा 53 आरटीए में कोई कार्यवाही नही की जा रही जो कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वाद उक्त वाद के पश्चातवर्ती वाद है जिसमें सुनवाई विचारण की उत्सुकता जाहिर की जा रही है जो कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को ऐलानिया धमकियां दी जा रही जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के साथ राजनैतिक दबाव दिया हुआ है व सेटिंग हो चुकी है इसलिए उक्त जैरकार प्रार्थना पत्र में निर्णय अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ही होगा। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 के न्यायालय से कोई न्याय की उम्मीद नही है इसलिए प्रार्थी के पास उक्त जैरकार प्रार्थना पत्र को स्थानान्तरण करवाने के पुख्ता आधार है। प्रार्थना पत्र 212 आरटीए का अन्य अधिकारी से सुनवाई करवाना सुनिश्चित करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उपखण्ड अधिकारी टिब्बी से टिप्पणी मंगवाई गई।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 राजनैतिक पहुंच रखता है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध करने का अंदेशा है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने के आदेश फरमाये जावे।

स्टेट की ओर राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो कथन अंकित किये वे निराधार व तथ्यहीन है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रश्नगत प्रकरण तलबी में विचाराधीन है। इसलिए प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण नही किया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो कथन अंकित किये वे निराधार व तथ्यहीन है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत पत्रावली को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी में तलब की गई है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बेसुद हो चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के संबंध में है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाये गये है जिनके संबंध में कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अप्रार्थी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2017 का अवलोकन करने पर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी में तलब किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो चुका है। उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

आदेश आज दिनाक 24.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official